UPUN010043232026

# न्यायालय Addl. District Judge Court No. 1, Unnao

## पीठासीन अधिकारी– (Kavita Mishra), (उ०प्र० न्यायिक सेवा ) – UP06229

**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1830 / 2026**

1. मनीष कुमार शुक्ला उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्र स्व0. अरूण प्रकाश निवासी जी–1208,आवास विकास–1 कल्यानपुर कानपुर नगर

................प्रार्थी / अभियुक्त

**बनाम**

1. सरकार उ0प्र0 द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव.......................विपक्षी।

मु0अ0सं0–426 / 2019
धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं
थाना–कोतवाली जिला उन्नाव।

**दिनांक0 :–01.08.2026**

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक / अभियुक्त मनीष कुमार शुक्ला की ओर से मु0अ0सं0–426 / 2019 धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं थाना–कोतवाली जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से इस आशय का शपथ–पत्र दाखिल किया गया कि उनके द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र,प्रथम है इसके अतिरिक्त अन्य किसी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जिगनेश चन्द्र मिश्रा के द्वारा दिनांक 14.03.2019 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर उन्नाव को दी गयी तहरीर के आधार पर अभियोजन का कथन है कि दिनांक 13.06.2018 से बहैसियत बैक आफ इण्डिया उन्नाव शाखा मे मुख्य प्रबन्धक के पद पर कार्यरत हूँ। मनोज कुमार पाल पुत्र श्री रामकिशन पाल निवासी ईडब्ल्यूएस 4227 आवास विकास–3 पनकी रोड कल्याणपुर कानपुर–208017 ने दिनांक 17.07.2017 को हमारी शाखा से रूपये 49.50 लाख के आवास ऋण हेतु आवेदन किया था। मनोज कुमार पाल ने यह ऋण आवेदन, श्री सन्तोष कुमार शुक्ला पुत्र श्री रमेश चन्द्र निवासी मकान संख्या–31 एस एस बर्रा–7 कानपुर नगर के प्लाट संख्या–243ए डब्ल्यू ब्लाक,स्कीम नम्बर–2 जूही के आधे पूर्वी भाग कानपुर को खरीदने और तत्पश्चात उस प्लाट पर भवन निर्माण हेतु किया था जिसके लिये श्री संतोष कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 15.07.2017 को क्रेता के पक्ष मे विक्रय अनुबन्ध निष्पादित कराकर जमा कराया था। उक्त प्लाट का सौदा रूपये 65.00 लाख मे तय हुआ था। शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक द्वारा दिनांक 31.07.2017 को रूपये 49.50 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया और इसका भुगतान श्री संतोष कुमार शुक्ला को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया। तत्पश्चात श्री संतोष कुमार शुक्ला द्वारा क्रेता मनोज कुमार

पाल के पक्ष मे विक्रय पत्र 06.10.2017 निष्पादित किया गया। ऋण देने के पश्चात श्री मनोज कुमार पाल ने यह विक्रय पत्र निष्पादित कराकर सम्यक बंधक हेतु शाखा मे जमा किया परन्तु बाद मे बैक द्वारा प्लाट की टाइटल सर्च रिपोर्ट दिनांकित 28.08.2018 से पता चला कि विक्रेता संतोष कुमार शुक्ला जाली व्यक्ति है और संतोष कुमार शुक्ला उक्त प्लाट बेचने हेतु अधिकृत नही था। अतः मनोज कुमार पाल द्वारा बैक मे जमा किया गया विक्रय पत्र वैध नही है। पीयूष पाल पुत्र सुरेश चन्द्र पाल निवासी पकारा पोस्ट शिवराजपुर दुबियाना कानपुर 209205 उक्त खातेदार मे जमानतदार है इससे स्पष्ट होता है उक्त व्यक्तियों द्वारा बैक से आपराधिक षडयंत्र रच कर छल द्वारा धोखाधड़ी करके उपरोक्त ऋण बदनियति से हड़प लेने से आशय से लिया है और बैक को रूपये 51.48 लाख की आर्थिक क्षति पहुॅचायी है जो कि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अनुरोध है कि शिकायत पंजीकृत कर प्राथमिकी दर्ज करे। और विवेचना कर आरोपी द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य के लिये उचित कार्यवाही करें।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत मे तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नही किया है। आवेदक/अभियुक्त को विवेचक द्वारा वाद उपरोक्त मे फर्जी संलिप्त किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन बैक आफ इण्डिया शाखा,उन्नाव के प्रबन्धक, श्री जिगनेश चन्द्र मिश्रा द्वारा कथन किया गया है कि मनोज कुमार पाल पुत्र श्री रामकिशन पाल निवासी ईडब्ल्यूएस 4227 आवास विकास–3 पनकी रोड कल्याणपुर कानपुर नगर ने दिनांक 17.07.2017 को हमारी शाखा से रूपये 49.50 लाख के आवास ऋण हेतु आवेदन किया था। मनोज कुमार पाल ने यह ऋण आवेदन, श्री सन्तोष कुमार शुक्ला पुत्र श्री रमेश चन्द्र निवासी मकान संख्या–31 एस एस बर्रा–7 कानपुर नगर के प्लाट संख्या–243ए डब्ल्यू ब्लाक,स्कीम नम्बर–2 जूही के आधे पूर्वी भाग कानपुर को खरीदने और तत्पश्चात उस प्लाट पर भवन निर्माण हेतु किया था जिसके लिये श्री संतोष कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 15.07.2017 को क्रेता के पक्ष मे विक्रय अनुबन्ध निष्पादित कराकर जमा कराया था। उक्त प्लाट का सौदा रूपये 65.00 लाख मे तय हुआ था। शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक द्वारा दिनांक 31.07.2017 को रूपये 49.50 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया और इसका भुगतान श्री संतोष कुमार शुक्ला को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया। तत्पश्चात श्री संतोष कुमार शुक्ला द्वारा क्रेता मनोज कुमार पाल के पक्ष मे विक्रय पत्र 06.10.2017 निष्पादित किया गया। ऋण देने के पश्चात श्री मनोज कुमार पाल ने यह विक्रय पत्र निष्पादित कराकर सम्यक बंधक हेतु शाखा मे जमा किया परन्तु बाद मे बैक द्वारा प्लाट की टाइटल सर्च रिपोर्ट दिनांकित 28.08.2018 से पता चला कि विक्रेता संतोष कुमार शुक्ला जाली व्यक्ति है और संतोष कुमार शुक्ला उक्त प्लाट बेचने हेतु अधिकृत नही था। अतः मनोज कुमार पाल द्वारा बैक मे जमा किया गया विक्रय पत्र वैध नही है। पीयूष पाल पुत्र सुरेश चन्द्र पाल निवासी पकारा पोस्ट शिवराजपुर दुबियाना कानपुर 209205 उक्त खातेदार मे जमानतदार है इससे स्पष्ट होता है उक्त व्यक्तियों द्वारा बैक से आपराधिक षडयंत्र रच कर छल द्वारा धोखाधड़ी करके उपरोक्त ऋण बदनियति से हड़प लेने से आशय से लिया है और बैक को रूपये 51.48 लाख की आर्थिक क्षति पहुॅचायी है। इस प्रकार शाखा प्रबन्धक द्वारा थाना

कोतवाली मे तहरीर देकर मुकदमा अ.सं उपरोक्त पंजीकृत कराया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामज़द नही है और न ही वादी द्वारा अभियुक्त पर अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे कोई आरोप ही लगाया गया है। विवेचक शंका के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहते है जबकि वादी द्वारा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे आवेदक के विरूद्ध कोई आरोप नही लगाया गया है। विवेचक मात्र शंका के आधार पर सह आरोपी बनाकर संलिप्त करना चाह रहे है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा किसी भी तरह की फर्जी दस्तावेजों का कूटकरण नही किया गया है और न ही उन्हे असली के रूप मे प्रयोग किया गया है और नही उसके द्वारा वादी के साथ छल किया गया है बल्कि विवेचक मात्र शंका के आधार पर संलिप्त कर गिरफ्तार करना चाहते है। आवेदक/अभियुक्त का प्रथम सूचना रिपोर्ट मे दर्शित कराये गये क्रता व विक्रेता तथा प्रापटी से कोई सम्बन्ध नही है और न ही वादी के बैक के रूपयों का आवेदक के खाते मे ट्रान्जेक्शन हुआ है। वादी द्वारा स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट मे कथन किया गया है कि लोन का भुगतान करने के पश्चात बन्धक सम्पत्ति की टाइटिल डीड चेक करायी गयी तो विक्रेता उसका वैध स्वामी ही नही था इससे स्पष्ट होता है कि बैक प्रबन्धक स्वयं भी उक्त कृत्य मे संलिप्त थे जिस कारण उन्हे लोन प्रदान करने से पूर्व बन्धक सम्पतित का सम्यक निरीक्षण नही कराया और लोन प्रदान करने के पश्चात टाइटिल डीड चेक करायी जो बैक प्रबन्धक की संलिप्तता का प्रमाण है। आवेदक/अभियुक्त एक शान्ति प्रिय सम्मानित एवं न्यायप्रिय व्यक्ति है। इसी प्रकार थाना पुरवा जनपद उन्नाव मे प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–188/2019 धारा–406,419,420,467,468,471 भा.द.सं मे संलिप्त किया गया जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत दी गयी। आवेदक/अभियुक्त के भाग जाने अथवा गवाहों पर असर डालने की कोई सम्भावना नही है। अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा थाने की आख्या के आधार पर जमानत प्रार्थना–पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर बैक के साथ छल व धोखाधड़ी की गयी। संबंधित मामलें मे सह अभियुक्तों के बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश मे आया है पुलिस द्वारा दबिश दिये जाने के कारण तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। सह अभियुक्त देवेन्द्र सिंह भदौरिया तथा अरविन्द कुमार सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

मैने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

**धारा–482 यह प्रावधानित करती है कि–जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालयको आवेदन कर सकेगा, और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो**

**वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।**

केस डायरी थाना आख्या व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित मामलें मे आवेदक/अभियुक्त का नाम सह अभियुक्तगण के बयानों के आधार पर प्रकाश मे आया है। केस डायरी के साथ संलग्न बैक आफ इण्डिया का प्रपत्र ''FORMATE FOR INSPECTION REPORT ON THE PROPERTY TO BE MORTIGAGED '' के अवलोकन से से स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बैक से धोखाधड़ी करके साजिश के तहत अन्य सह अभियुक्तगणों के साथ सांठ–गांठ करके बैक से 99 लाख रूपये का फर्जी लोन स्वीकृत कराया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध है। संबंधित मामलें मे सह अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह की अग्रिम जमानत दिनांक 26.06.2025 को तथा नियमित जमानत दिनांक 15.10.2025 को तथा अभियुक्त देवेन्द्र सिंह भदौरिया की अग्रिम जमानत दिनांक 14.07.2025 को इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है।

**यह उल्लेखनीय तथ्य है कि अग्रिम जमानत के प्रकरण में आवेदक को अपनी गिरफ्तारी की युक्तियुक्त आंशका होनी चाहिए जिससे बचने के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई युक्तियुक्त आंशका आवेदक/अभियुक्त को नही है एवं मामले से सम्बन्धित कई तथ्यों का अन्वेषण प्रचलित है।**

अतः प्रकरण के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त न करते हुए अपराध की प्रकृति तथा मामलें के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त मनीष कुमार शुक्ला की ओर से प्रस्तुत **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1830/2026,मु0अ0सं0–426/2019 धारा–419,420,467,468,471 भा.दं.सं थाना–कोतवाली जिला उन्नाव खारिज** किया जाता है।

( कविता मिश्रा )
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1,
उन्नाव।
दिनांक 01.08.2026